

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 71/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

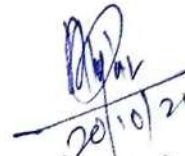
तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
3.10.21	झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म जंगल-झाड़ी) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>भरर</u> थाना नं० <u>0264</u> खाता सं० <u>63</u> प्लॉट सं० <u>855</u> रकबा <u>0.16 1/2</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल-झाड़ी, अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं० <u>II</u> के पृष्ठ सं० <u>58</u> पर जमाबंदी रैयत <u>हीरा साहु</u> <u>पिना मुन्नेर साहु</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक <u>20.10.2021</u> को उपस्थापित करें।	


 03/10/21
 अंचल अधिकारी,
 छत्तरपुर।

20/10/21 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवल/रैयत 8/21 प्रति-वर्ष 1925 का,
जमाना रसीद-1991-92, 2005-06, 2014-2015, 2017-20-
समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 21.01.2022 को उपस्थापित करें।


20/10/21
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

01.2022 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा 3155 मौजा नं० 0264 खाता सं० 63 प्लॉट सं० 865, रकबा 0.16 1/2 किस्म जंगल-झाड़ी खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि उक्त प्लॉट का किस्म जंगल-झाड़ी दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार श्रीरा साहु (पिता मुन्नेवर साहु) के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० 58/11 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० 58/11 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


21/01/22
अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं०.....71...../2016-17(अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम.....हीरा साहू पिता - सुबोध साहू

ग्राम - अरर बाला - छत्तरपुर

जिला - पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा.....अरर..... थाना नं० 264
खाता सं०.....63..... खेसरा नं०..... रकबा.....0.16.25 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०.....11..... के पंजी-II भाग11..... के पृष्ठ58..... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक.....20/10/21..... को समय.....11.00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

7667260539.

Krishna pd. Jaiswal.



संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - जिला - पलामू अंचल - छत्तारपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
इररा साहू	उरर	264	63	865	0.162	गैरमजबूत	जंगल-साई
पिता मुनेश्वर						मादिक	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- बाल क्षेत्र

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- प्राधिकार कालम में साधारण व वर्ष दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

प्राधिकार कालम में विवरण दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिर्बंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

प्राधिकार कालम में विवरण दर्ज नहीं है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :- नहीं

[Signature]

[Signature]

[Signature]

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) दाखिल-खारिज / भू-उत्सांतरण / नामांतरण पंजी से :-

मालु मांग पंजी-II
में मिलान किया

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- *नहीं*

(ख) तथा दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. तथा दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- मौजा - उमर

के मांग पंजी-II ने द.म. - 58/II पर जवाब 63 प्लॉट 865 रकबा 0.16 1/2 एकड़ का मांग दिया जाइ पिला - भुवनेश्वर साहू ने नाम ले लिया कायम है। अधिकार का कालम में विवरण दर्ज नहीं है। जवाब 63 प्लॉट 865 डीएमएलका मालिक जंगल अर्द्ध दर्ज है। रैपट से दस्तावेज की मांग की गई जिसमें इनके द्वारा जो नैबाला मुस्तफा किया गया वह इसमें खेचिद नहीं है। क्षति जंगल - क्षति किताब की है (वहिसाब ने अकसर) व दस्तावेज के चभाव है मगर ऐसी स्थिति इस मांग को रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।
अ. अमर नारवाई हेतु जांच प्रतिवेदन साफ़ संशोधित 12/12/58

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मतपत्र सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

रूपांक - 2 पर वर्णित पत्रों का प्रारंभिक जमाबंदी में जमाबंदी कायम होने का साधारण रूप नहीं है। मालु मांग पंजी-II में मांग पंजी-II के पत्र नं 0 88/II पर दर्ज है। उपरोक्त वर्णित पत्रों का जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।
मेहर

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- डीरा साहू पिता - भुवनेश्वर साहू
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या II पृष्ठ सं: 58 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>ऊर</u>	<u>264</u>	<u>63</u>	<u>865</u>	<u>0.16 1/2 स.</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- प्राधिकार कालम में आधार वर्ष दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- गैरमजदूरी मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- पंजी-11 के पृ. 11. 153/II पर डबेली भुइया बगै. के नाम से (शंकरजी भुइया पत्र के अनुसार), बतवाल मांग पंजी-11 के पृ. 11. 153/II पर डबेली भुइया बगै. के नाम से मांग दर्ज नहीं है।
7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- 4
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- मांग पंजी-11 से मिलाव किया, पंजी-11 के पृ. 11. 58/II पर डीरा साहू पिता - भुवनेश्वर साहू के नाम से मांग कायम है परंतु मांग कायम का कोई आधार दर्ज नहीं है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>380023</u>	<u>18/2/92</u>	<u>1991-92</u>
<u>2</u>	<u>352932</u>	<u>30/11/2006</u>	<u>2005-06</u>
<u>3</u>	<u>038611</u>	<u>10/2/2015</u>	<u>2006-2015</u>

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- दीरा खाट्ट पिता - भुनेश्वर खाट्ट
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी :-
3. जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या II पृष्ठ सं. 58 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>अरर</u>	<u>0264</u>	<u>63</u>	<u>—</u>	<u>0.16 1/2</u>

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- प्राधिकार कॉलम में वर्ष दर्ज नहीं है।
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- गौरमजरा आ मालिक
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- दर्ज नहीं है।
8. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदाबस्ती) :- दर्ज नहीं है।
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) :- सांग पंजी - II में जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। अधिकृत अधिकारी का जाँच करना संभव नहीं है।
10. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>380023</u>	<u>19/02/92</u>	<u>1991-92</u>
<u>2</u>	<u>3529321</u>	<u>30/11/2006</u>	<u>2005-06</u>
<u>3</u>	<u>038611</u>	<u>10/02/2015</u>	<u>2014-15</u>

03/02/2022

[Signature]